

## विश्वभारती

### कार्यालय आदेश

अधोहस्ताक्षरी को कहने का निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी ने सेवानिवृत्त कार्मिकों की पुनर्नियुक्ति हेतु पुनर्गठित समिति के सिफारिश के आधार पर निम्नलिखित पुनर्नियुक्ति का अनुमोदन प्रदान किए हैं :

#### सामान्य कार्मिकों की सूची

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	विभाग जहाँ कार्यरत है	सेवानिवृत्ति की तिथि	पूर्व पुनर्नियुक्ति की अवधि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री मोनोजित गर्डन, पूर्व वरिष्ठ सहायक	अकादमिक एवं अनुसंधान	31/12/2020	अभी तक पुनर्नियुक्ति नहीं हुआ	दिनांक 01.01.2021 से छः माह हेतु रु. 19000/- मासिक पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति
2	श्री तपन कुमार दास पूर्व अनुभाग अधिकारी	लेखा कार्यालय	30/11/2020	अभी तक पुनर्नियुक्ति नहीं हुआ	कार्यालय आदेश जारी होने पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से छः माह हेतु पुनर्नियुक्ति के साथ रु. 22000/- मासिक पारिश्रमिक

उक्त व्यय "अस्थायी स्थापना" बजट शीर्ष से खर्च किए जाएंगे। कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को साथ ही इसकी प्रति संयुक्त कुलसचिव (लेखा) को भी भेजी जाए।

सं. स्था/ई-III/ओ.2

दिनांक : 18.01.2021

हस्ता/-

कुलसचिव (कार्यकारी)

विश्वभारती

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति अग्रेषित :

1. सभी निदेशक/सभी भवन/विभाग के प्रिंसिपल
2. सभी शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक विभाग/केंद्र/अनुभाग के प्रधान
3. कुलानुशासक
4. वित्त अधिकारी
5. संयुक्त कुलसचिव (लेखा)
6. सभी संयुक्त कुलसचिव/जेएफओ/उप कुलसचिव/आईएओ/सहा. कुलसचिव
7. सी.एम.ओ./सी.एस.ओ./यू.ई.
8. कुलपति के गोपनीय सचिव
9. सहा. कुलसचिव (बैठक)
10. कुलसचिव के निजी सहायक
11. वेतन नियतन प्रकोष्ठ
12. हिंदी अधिकारी - हिंदी अनुवाद कर वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।
13. विश्वविद्यालय वेब मास्टर - विश्वविद्यालय वेब साईट पर अपलोड करें।
14. फाइल